संख्या–पी–6 / 14–2–2019–800(14) / 2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 14 मई 2019

विषयः– जनपद–आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 02 के किमी0 206.757 से 213.960 के मध्य महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बायीं पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.584 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1460 / 11–सी, एफपी / यूपी / अदर्स / 31584 / 2018, दिनांक–21–01–2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद–आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 02 के किमी0 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बायीं पटरी के किनारे गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.584 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत मांगी गयी है।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव की एक प्रति मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–पी–6(1) / 14–2–2019–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक आगरा वृत्त, आगरा ।
3– जिलाधिकारी, आगरा ।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा ।
5– उप महाप्रबंधंक, ग्रीन गैस लि0 संजय प्लेस आगरा।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव